न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2014

1. माया पुत्री गुरईया बाई उर्फ गरदेवकौर पत्नी सुरजीतसिंह जाति रायसिख निवासी पुलिस कालोनी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
2. हुकमा पुत्री गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर पत्नी गुरनामसिंह जाति रायसिख निवासी सवलामंडी चक 8 पीएसडी तहसील घड़साना ।
3. भजनकौर पुत्री गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर पत्नी करनेलसिंह जाति रायसिख निवासी बाण्डा कालोनी अनूपगढ़।
4. गुरदयालसिंह पुत्र गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर जाति रायसिख निवासी 8 के बी तहसील अनूपगढ।
5. वीरो बाई बेवा गुरमुखसिंह पुत्री गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर जाति रायसिख निवासी बाण्डा कालोनी अनूपगढ।
6. जगसीरसिंह पुत्र गुरमुखसिंह पुत्र गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर जाति रायसिख निवासी बाण्डा कालोनी अनूपगढ।
7. सोमा बाई पुत्री गुरमुखसिंह पुत्र गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर जाति रायसिख निवासी बाण्डा कालोनी अनूपगढ।
8. रमणदीपकौर पुत्री गुरमुखसिंह पुत्री गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर जाति रायसिख निवासी बाण्डा कालोनी अनूपगढ़।
9. गगनदीप कौर गुरमुखसिंह पुत्री गुरईया बाई उर्फ गुरदेवकौर जाति रायसिख नाबालिग निवासी बाण्डा कालोनी अनूपगढ़ जरिये कुदरती वली माता वीरो बाई निवासी बाण्डा कालोनी अनूपगढ़। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. हंरबससिंह पुत्र मेहणसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रूपसिंह पुत्र चनणसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

26/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

3. मलूकसिंह पुत्र चनणसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955 विरूद्ध आदेश
उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 15.01.2014
उपस्थितः—

श्री जरनेलसिंह टुरना अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल छाबड़ अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 26.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रार्थीगण / अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2000 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया जिसे रेस्टोर किया जावे जिसका जबाव अप्रार्थीगण ने पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 15.01.2014 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रार्थना पत्र मेंमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया था ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय को प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था जो नहीं करने में कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरोते हए कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मियाद

26/12/17
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बाहर पेश किया था मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जबाव रेस्पो. ने पेश किया था। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलांटका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सिविल प्रकियां संहिता के आदेश 22 नियम 3 पठित धारा 151 का खारिज किया जो मियाद का बिन्दु गलत विवेचित किया है। अतः अधी.न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

चूंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 से सम्बन्धित है, जिसमें सम्बन्धित आदेश Appealable या Revisionable है बिन्दु का विनिश्चय ही अपील का निर्णय है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों का सार में Any order Appealable है जबकि अभिभाषक रेस्पो द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 43 नियम 1 की में Text की प्रति पेश की जिसमें सीपीसी की धारा 104 में जिन आदेशों की अपीले की जा सकती हैं की सूची में आदेश 22 नियम 3 समाहित नहीं होना जाहिर किया है वही न्याय सिद्धान्त आरजेटी पेज 145 मंगलूराम देवगण बनाम सुरेन्द्रसिंह आदि सिविल अपील संख्या 4923/2011 (Arising out of SLP (c) नं. 15113/2008) निर्णय दिनांक 04.07.2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने held किया है कि सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 22, नियम 3 व धारा 2(2)– एक मात्र वादी को मृत्यु –अपीलांट को पक्षकार बनाने हेतु पूर्व में आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि अपीलांट मृतक का विधिक प्रतिनिधि नहीं है– वाद खारिज किया–आदेश के विरूद्ध अपील–पोषणीयता–आदेश डिक्री नहीं हे व अपील योग्य नहीं है लेकिन आदेश निगरानी योग्य है।

रेस्पो. अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि भारतीय संविधान के आर्टीकल 129 अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को court of record घोषित

26/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया गया है जिसके अनुसार high authirity होकर Truth can not be questioned परिभाषित है।

पत्रावली का अवलोकन करने तथा पत्रावली पर उपलबध रेकार्ड का विश्लेषण, उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों के अध्ययन पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आरेश 22 नियम 3 का आदेश Appealable न होकर Revisionable होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर